दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / अनापत्ति / 2020 / 739 दिनांक : 29-02-2020

अनापत्ति पत्र

शासनादेश संख्या 2103 / सत्तर–2–2012– 2(166) / 2012 दिनांकः 09 अगस्त, 2012 एवं शासनादेश सं0 23 / 2016 / 772 / सत्तर– 2–2016(116) / 115,टी0सी0 II दिनॉक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुसार स्वावित्तपोषित योजना अन्तर्गत पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / परास्नातक स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, की अध्यक्षता में कार्यालय–ज्ञाप संख्याः लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2020 / 1370 दिनांकः 13.02.2020 द्वारा गठित समिति की बैठक **दिनांक 22.02.2020** में की गई अनुशंसा के अनुक्रम में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पूर्व संचालित महाविद्यालय **राजीव गांधी विद्यापीठ महाविद्यालय, पाकरगांव, तिलोई, अमेठी,** को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत **बी0ए0** तथा **एम0ए0 विषय / पाठ्यक्रम** के शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यो के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है। शर्ते एवं विवरण निम्नवत है –

1. अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है / या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतुः–**स्नातक तथा परास्नातक।**

2. **अ–अनापत्ति से सम्बन्धित संकायः–कला संकाय।**
ब–अनापत्ति से सम्बन्धित विषयः– स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0ए0 अतिरिक्त विषय **राजनीतिशास्त्र** तथा **परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत एम0ए0 हिन्दी एवं गृहविज्ञान विषयों।**

3. महाविद्यालय के अनापत्ति से सम्बन्धित पाठ्यक्रम महाविद्यालय को निर्गत पूर्व अनापत्ति की भूमि ग्राम सटवा, परगना मोहनगंज, तहसील तिलोई, जिला अमेठी, की भूमि / गाटा संख्या गाटा संख्या 196 मि0 रकबा 1.265 हे0 कुल रकबा 1.265 हे0 पर संचालित किया जायेगा। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों / विषयों को उक्त भूमि के गाटों के अन्यत्र संचालित किया जाता है तो प्रदत्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। साथ ही सम्बद्धता हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित नहीं की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

4. ***महाविद्यालय द्वारा याचित विषयों / पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन होने के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी।***

5. ***महाविद्यालय के सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु आवेदन, निरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियॉं शासनादेश दिनॉकः 14 नवम्बर 2014 द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी । शासनादेश द्वारा निर्धारित अवधि के उपरान्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।***

6. उक्त पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की बचन बद्धता रू0 100 / –(रू0 एक सौ) मात्र के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम संचालक सोसाइटी / महाविद्यालय को इस पत्र के निर्गमन की एक सप्ताह की समयावधि में विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध करानी होगी।

7. उपरोक्त पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नही की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय / संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेगे तो महाविद्यालय / संस्थान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी।

8. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान / महाविद्यालय शासनादेश संख्याः–3075 / सत्तर–2–2002–2(0166) / 2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्टि मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

9. संस्थान/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उ0प्र0 शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।

10. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।

11. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

12. यह अनापत्ति वर्तमान अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्ही अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये सचिव, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रबन्धक, राजीव गांधी विद्यापीठ महाविद्यालय, पाकरगांव, तिलोई,. अमेठी।
3. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. पत्रावली।

उप कुलसचिव